FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0203 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 08/08/2025 18:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 28/07/2025 Date To (दिनांक तक): 07/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:15 बजे Time To (समय तक): 16:56 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 08/08/2025 Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 08/08/2025 18:33:48 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 18 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): KARAYALYA UPKHAND ADHIKARI, AAHOR,JILA JALORE

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): CHHAGANARAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): PARHALAD JI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1955 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MEGAWALO KA WAS AAHOR, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MEGAWALO KA WAS AAHOR, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIRENDRA KUMAR NAG		पिता:KANHAIYALAL NAG	1. LAL POL KE BAAHAR JALORE,JALORE,RAJASTHAN,INDIA
2	JAGDISH SINGH		पिता:GANGARAM	1. 191,PANCHVATEE HANUMAN MANDIR KI GALEE,WARD NO.20,JALORE,JALORE,RAJAS
3	DINESH KUMAR		पिता:SONARAM	1. GRAM JODA,AAHOR,JALORE,RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

सेवामें श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय एसीबी, जालोर। विषयः- रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार करने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि मैं छगनलाल पुत्र स्व. श्री प्रहलाद जी जाति मेघवाल उम्र 70 वर्ष निवासी मेघवालों का वास आहोर तहसील आहोर जिला जालोर का रहने वाला हूँ। मेरी पुश्तेनी जमीन पुराने खसरा नंबर 52/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि बारानी दोयम राजस्व रेकर्ड में वक्त सैटलमेंट संवत 2009 से 2028 मिसल बंदोबस्त में उक्त खसरा नम्बर प्रहलादा पिसरान भाना निवासी आहोर के नाम दर्ज थी। उक्त जमीन का म्यूटेशन संख्या 1778 दिनांक 23.08.2012 को ग्राम पंचायत आहोर द्वारा नरपत कुमार पुत्र हस्तीमल वगैरा के नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया जिसका म्यूटेशन अपील संख्या MA/04/2024 उपखण्ड मजिस्ट्रेट आहोर के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में विपक्षीगण के नाम नोटिस जारी करवाने हेतु मैं दिनांक 24.03.2025 को श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर एसडीएम आहोर से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि बाहर से नोटिस लेकर आओ जिस पर मैने बाहर से 08 खाली नोटिस लाकर श्री विरेन्द्र कुमार नाग को दिए जिस पर श्री विरेन्द्र कुमार रीडर ने मेरे से विपक्ष पार्टी के नाम नोटिस जारी करने की एवज में मेरे से 1,00,000/- रुपये खर्चा पानी के रुप में रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा लाए गए कुल 8 खाली नोटिसों पर एसडीएम ऑफिस की गोल मोहर व रीडर की मोहर लगाकर एक नोटिस पर हस्ताक्षर किया हुआ मुझे दिये तथा कहा कि 1,00,000/- रुपये लेकर आना तो मैं नोटिस फार्म भर दूंगा साथ ही इन नोटिस के साथ एक सादे कागज पर वाद संख्या व विपक्षीगण का नाम लिखकर श्री विरेन्द्र कुमार ने मुझे दी उक्त नोटिस व सादा कागज की पर्ची इस रिपोर्ट के साथ पेश कर रहा हूँ। श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर मेरे से मेरे द्वारा एसडीएम ऑफिस में दायर किये गये वाद में विपक्षीगण को नोटिस जारी करने की एवज में 1,00,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। श्री विरेन्द्र कुमार नाग मेरा उपरोक्त कार्य बिना रिश्वत दिए नहीं करेगा इसलिए मैं मेरे जायज कार्य को करवाने के लिए श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ, उसे रिश्वत राशि लेते हुए रंगेहाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के मध्य किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन बकाया नहीं है तथा ना ही हमारे आपस में कोई रंजीश है। मेरी इस रिपोर्ट के साथ मेरे द्वारा एसडीएम ऑफिस में दायर किये गये वाद से संबंधित दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश है। अतः निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करवाने की कृपा करावें। दिनांकः- 28.07.2025 प्रार्थी एसडी छगनाराम पुत्र श्री प्रहलाद जी जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास, आहोर, जिला जालोर मो.नं. [redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 28.07.2025 समय 01.15 पी.एम. इस समय परिवादी श्री छगनलाल पुत्र स्व. श्री प्रहलाद जी जाति मेघवाल उम्र 70 वर्ष निवासी मेघवालों का वास आहोर तहसील आहोर जिला जालोर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर में उपस्थित होकर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आश्य की पेश कि की मेरी पुश्तेनी जमीन पुराने खसरा नंबर 52/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि बारानी दोयम राजस्व रेकर्ड में वक्त सैटलमेंट संवत 2009 से 2028 मिसल बंदोबस्त में उक्त खसरा नम्बर प्रहलादा पिसरान भाना निवासी आहोर के नाम दर्ज थी। उक्त जमीन का म्यूटेशन संख्या 1778 दिनांक 23.08.2012 को ग्राम पंचायत आहोर द्वारा नरपत कुमार पुत्र हस्तीमल वगैरा के नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया जिसका म्यूटेशन अपील संख्या MA/04/2024 उपखण्ड मजिस्ट्रेट आहोर के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में विपक्षीगण के नाम नोटिस जारी करवाने हेतु मैं दिनांक 24.03.2025 को श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर एसडीएम आहोर से मिला तोउन्होने मुझे कहा कि बाहर से नोटिस लेकर आओ जिस पर मैने बाहर से 08 खाली नोटिस लाकर श्री विरेन्द्र कुमार नाग को दिए जिस पर श्री विरेन्द्र कुमार रीडर ने मेरे से विपक्ष पार्टी के नाम नोटिस जारी करने की एवज में मेरे से 1,00,000/- रुपये खर्चा पानी के रुप में रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा लाए गए कुल 8 खाली नोटिसों पर एसडीएम

ऑफिस की गोल मोहर व रीडर की मोहर लगाकर एक नोटिस पर हस्ताक्षर किया हुआ मुझे दिये तथा कहा कि 1,00,000/- रुपये लेकर आना तो मैं नोटिस फार्म भर दूंगा साथ ही इन नोटिस के साथ एक सादे कागज पर वाद संख्या व विपक्षीगण का नाम लिखकर श्री विरेन्द्र कुमार ने मुझे दी उक्त नोटिस व सादा कागज की पर्ची इस रिपोर्ट के साथ पेश कर रहा हूँ। श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर मेरे से मेरे द्वारा एसडीएम ऑफिस में दायर किये गये वाद में विपक्षीगण को नोटिस जारी करने की एवज में 1,00,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। श्री विरेन्द्र कुमार नाग मेरा उपरोक्त कार्य बिना रिश्वत लिए नहीं करेगा इसलिए मैं मेरे जायज कार्य को करवाने के लिए श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ, उसे रिश्वत राशि लेते हुए रंगेहाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के मध्य किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन बकाया नहीं है तथा ना ही हमारे आपस में कोई रंजीश है। मेरी इस रिपोर्ट के साथ मेरे द्वारा एसडीएम ऑफिस में दायर किये गये वाद से संबंधित दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश है। अतः निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करवाने की कृपा करावें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर परिवादी से विस्तृत पुछताछ की गई। दरियाफ्त पर परिवादी श्री छगनाराम ने बताया कि उक्त रिपोर्ट मैंने कचहरी परिसर जालोर में टाईप करवाई थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। परिवादी ने रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया व रिपोर्ट के साथ स्वयं का स्वःप्रमाणित आधार कार्ड की फोटो प्रति व उपखण्ड न्यायालय आहोर में विचाराधीन वाद से संबंधित दस्तावेजात की स्वः प्रमाणित फोटो प्रतियां तथा कुल 8 नोटिस तारीख पेश के जिन पर आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर (राज.) की मोहरें व न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) आहोर, जिला जालोर (राज.) की गोल मोहरें लगी हुई एवं जिनमे से 7 खाली नोटिस व एक भरा हुआ नोटिस एवं एक खाली नोटिस पर रीडर उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर की लगी मोहर पर हस्ताक्षर किया हुआ होना जिसे परिवादी ने उक्त हस्ताक्षर श्री विरेन्द्र कुमार नाग के होना बताया। उक्त नोटिसों के साथ एक सादा कागज पर वाद संख्या व वाद में विपक्षीगण का नाम लिखी पर्ची भी पेश की जिसमे लिखी इबारत परिवादी ने श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर द्वारा लिखी होना बताया। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब बहुत ही सतर्क आदमी है जो बिना पैसे लिए किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करता है तथा मुँह से पैसे की मांग नहीं कर ज्यादातर कागज की पर्ची पर लिखकर पर्ची फाड़ देता है या हाथ की अंगूलियों से ईशारा करके रिश्वत राशि की मांग करता है, साथ ही उसने दलाल रखे हुए है जो पैसे लेकर दलालों को देकर भगा देता है एवं राजनीतिक पहूंच वाला व्यक्ति है जो लम्बे समय से यहां लगा हुआ है। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिभाषा में आना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय कक्ष में तलब कर उपस्थित परिवादी श्री छगनाराम से परस्पर परिचय करवाया जाकर आपस में मोबाईल नम्बरों का आदान प्रदान कराया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को निकालकर चालू कर उपस्थित परिवादी श्री छगनाराम व श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232 को उसके संचालन की प्रक्रिया बाबत् समझाईश की गई। उपस्थित परिवादी ने बताया कि आज मैं श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब से मिलकर आया हूँ इसलिए आज वो मेरे से वार्ता नहीं करेगा इसलिए मैं उससे वार्ता करने के लिए कल उसके ऑफिस में जाऊंगा तो वो मेरे से 04.00 बजे के बाद वार्ता कर लेगा, जिस पर उपस्थित परिवादी को हिदायत दी गई कि कल दिनांक 29.07.2025 को समय 04.00 बजे के आस-पास श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. को रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आहोर भिजवाया जायेगा आप आहोर मे उपस्थित मिलना। तत्पश्चात मन एएसपी ने श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. को आवश्यक हिदायत दी की दिनांक 29.07.2025 को परिवादी द्वारा बताये अनुसार डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर नियत समय पर आहोर पहूंच गोपनीय सत्यापन करवाकर लावें। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकार्ड बन्द कर मन् एएसपी ने स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा। परिवादी श्री छगनाराम को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रुकस्त किया गया। मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीगर राजकार्य मे व्यस्त हुआ। दिनांक 29.07.2025 को समय 04.20 पी.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232 को मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय कक्ष मे तलब कर मन् एएसपी के कार्यालय की अलमारी मे रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकालकर उसमे एक नया मैमोरी कार्ड लगाकर खाली होना सुनिश्चित कर श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर आहोर पहूंच परिवादी श्री छगनाराम से संपर्क कर संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर लाने हेतु आहोर की तरफ रवाना किया गया। समय 08.30 पी.एम. पर श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232 रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आहोर गया हुआ कार्यालय हाजा मे मन् मांगीलाल राठौड़ एएसपी के समक्ष उपस्थित आया व पूर्व मे सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वीच-ऑफ हालात मे प्रस्तुत किया। श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. ने बताया कि निर्देशानुसार भ्र.नि.ब्यूरो, जालोर से रवाना होकर समय करीबन 05.05 पी.एम पर कस्बा आहोर मे तहसील/एसडीएम कार्यालय परिसर के आस-पास पहूंच परिवादी श्री छगनाराम को मोबाईल मे कॉल किया तो कुछ ही समय मे परिवादी श्री छगनाराम मन् कानि. के पास उपस्थित आया। जिस पर वक्त 05.20 पी.एम. पर मन् कानि. ने

डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर लाने हेतु उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की तरफ रवाना किया तथा मन् कानि. एसडीएम कार्यालय के आस-पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए गोपनीय रुप मे परिवादी के पुनः आने के इन्तजार मे मुकिम रहा तथा परिवादी श्री छगनाराम को मन् कानि. ने एसडीएम कार्यालय के अन्दर प्रवेश करते हुए देखा । समय करीब 06.15 पी.एम. पर परिवादी श्री छगनाराम एसडीएम कार्यालय से बाहर पूर्व निर्धारित स्थान पर मन् कानि. के समक्ष उपस्थित आया व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् कानि. को सुपुर्द किया जिसे स्विच-ऑफ कर मन् कानि. ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा व पुछने पर परिवादी ने बताया कि आपके पास से डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर मांग सत्यापन हेतु मै एसडीएम कार्यालय के अन्दर रीडर के कमरे मे पहूंचा जहां श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब अपने कार्यालय कक्ष मे उपस्थित मिले जिस पर मैने मेरे विचाराधीन वाद के संबंध मे तारीख पेशी बाबत् वार्ता की तो उन्होने मेरे से मेरे कार्य के संबंध मे वार्ता की तथा दौराने वार्ता के एक लाख रुपये देने का ईशारा कर एक कागज पर एक लाख रुपये लिखकर बताये व कागज को फाड़कर फैंक दिया । निर्देशानुसार परिवादी को रात्रि होने से प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत आहोर में ही रुकम्त किया गया । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर को स्वीच-ऑन कर रिवर्स कर सुना तो डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे परिवादी श्री छगनाराम व संदिग्ध अधिकारी के मध्य वार्ता रिकार्ड होना व श्री सुरेन्द्र सीमगड़ कानि. द्वारा बताई गई वार्ता की ताईद हुई । डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे रिकॉर्ड परिवादी श्री छगनाराम व संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई वार्ता मे संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी के कार्य को करने की एवज मे रिश्वत राशि की मांग पूर्ण रुप से स्पष्ट नहीं होने से आईन्दा परिवादी से संपर्क कर रिश्वत राशि मांग का पुनः गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच-ऑफ कर अलमारी मे सुरक्षित रखा । रिकार्ड वार्ता की आईन्दा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के रुबरु फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया। दिनांक 01.08.2025 समय 03.45 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री सुरेन्द्र सीमगड़ कानि. 236 को तलब कर प्रकरण में परिवादी से संपर्क कर आहोर पहूंच रिश्वत राशि मांग का पुनः सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर मन् एएसपी की अलमारी में रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकालकर मय पूर्व में लगे मैमोरी कार्ड सहित स्वीच-ऑफ हालात में सुपुर्द कर आहोर की तरफ रवाना किया गया । दिनांक 01.08.2025 समय 06.10 पी.एम. पर श्री सुरेन्द्र सीमगड़ कानि. नं. 236 कार्यालय हाजा में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया व पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वीच-ऑफ हालात में प्रस्तुत कर बताया कि निर्देशानुसार कार्यालय हाजा से रवाना होकर रास्ते में परिवादी श्री छगनाराम से जरिये मोबाईल संपर्क किया तो परिवादी ने बताया की मैं आहोर में ही उपस्थित हूँ आप आहोर पहूंच मेरे से संपर्क करें । तत्पश्चात वक्त 04.15 पी.एम. पर आहोर पहूंच परिवादी श्री छगनाराम से संपर्क किया तो परिवादी उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के बाहर रोड़ पर उपस्थित आया जिस पर श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर की तरफ रवाना किया जिसे मैने कार्यालय में प्रवेश होते हुए देखा तथा मन् कानि. उपखण्ड कार्यालय के आस-पास अपनी पहचाना छुपाते हुए गोपनीय रुप से परिवादी के पुनः बाहर आने के इन्तजार में व्यस्त रहा । तत्पश्चात परिवादी श्री छगनाराम करीबन 25-30 मिनट बाद पुनः मन् कानि. के पास निर्धारित स्थान पर उपस्थित आया जिस पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्द डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे में लिया । परिवादी ने बताया की आपके पास से रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय में श्री विरेन्द्र जी रीडर साहब के कमरे में पहूंचा जहां रीडर साहब उपस्थित मिले जिनसे मैने मेरे विचाराधीन म्यूटेशन अपील में विपक्षीगणों को नोटिस जारी करने व अपील खारीज नहीं करने बाबत् कहा तो विरेन्द्र जी रीडर साहब ने मेरे से पच्चीस हजार रुपये लेने हेतु सहमत हुआ इत्यादि वार्ता होना बताया जिस पर मन् कानि ने श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री छगनाराम को आहोर में ही रुकस्त कर रवाना होकर कार्यालय पहूंचा । तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर रिवर्स कर रिकार्ड वार्ता को सुना तो श्री सुरेन्द्र सीमगड़ कानि. द्वारा बताए तथ्यों की पुष्टी हुई जिसके मुख्यांश इस प्रकार है कि आरोपी कहता है थैलो खाली क्यों लायो, भरयोड़ो लावणो हतो, अबार तो भरयोड़ो हतो, आंकड़ो पाड़ियों न, परिवादी ने कहा कि घणा पा वई अतरा तो ऐ लका लकी तो हमे छोड़ो हिसाबूं को अको, जिस पर आरोपी ने कहा कि लो, परिवादी ने कहा थोड़ा कम कराओ जिस पर आरोपी ने कहा कि कम मूं का करुं ओ, थोरी इच्छा वे अको पा करजो बस । परिवादी ने कहा कि का है कम नहीं है ओ, पच्चीस ती धके तो मत करो, लखयोड़ा तो घणाई पा वे, अमार लाख रुपयो पो लखिजे वणती हमे का वे हूं, जिस पर आरोपी कहता है, ठीक है, परिवादी ने कहा का को, आरोपी ने कहा हूँ, हूँ , परिवादी ने कहा रडी के तो आरोपी ने कहा हूँ हूँ इत्यादि वार्ता रिकार्ड होना तथा आरोपी ने परिवादी को सोमवार को आने के लिए कहा है । चुंकि परिवादी व आरोपी के मध्य परिवादी के पेण्डिंग कार्य से संबंधित स्पष्ट वार्तालाप नहीं होने से आईन्दा एक बार पुनःवार्ता करवाने का प्रयास किया जायेगा । डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् एएसपी ने स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा, आईन्दा रिकार्ड वार्ता की रुबरु गवाहान के फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब करने का निर्णय लिया । दिनांक 04.08.2025 समय 02.00 पी.एम. को परिवादी श्री छगनाराम मन् मांगीलाल राठोड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया व बताया कि श्री विरेन्द्र कुमार रीडर साहब ने मुझे आज सोमवार को रिश्वत राशि लेकर

बुलाया था मगर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/- रुपये की मेरे द्वारा व्यवस्था नहीं हो पाई है, मैं कल तक रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 05.08.2025 को कार्यवाही हेतु आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी श्री छगनाराम को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रुकस्त किया गया। दिनांक 05.08.2025 को समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री छगनाराम मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा बताया कि मेरे पास रिश्वत में दी जाने वाली राशि 12,000/- रुपये तक की ही व्यवस्था हो पाई है शेष 13,000/- रुपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि की कल तक व्यवस्था हो जायेगी। परिवादी ने बताया कि मेरे व श्री विरेन्द्र जी रीडर साहब के मध्य पूर्व में हुई वार्तालाप में श्री विरेन्द्र जी रीडर साहब ने स्पष्ट रुप से मेरे कार्य से संबंधीत व रिश्वत लेने के संबंध में वार्ता नहीं कर ज्यादातर मुझसे ईशारों में ही रिश्वत राशि की मांग की है इसलिए मैं पुनः श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब से संपर्क कर वार्ता करने जाऊंगा तो वो मेरे से वार्ता कर लेगें। जिस पर मन् एएसपी ने एक बार पुनः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लेकर समय 04.40 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री सुरेन्द्र मीणा कानि. 232 को तलब कर उपस्थित परिवादी श्री छगनाराम से संपर्क करवाकर मन् एएसपी की अलमारी में रखा डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकालकर उसमें लगे मैमोरी कार्ड सहित श्री सुरेन्द्र मीणा कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर एक बार पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु मय परिवादी के आहोर की तरफ रवाना किया गया था जो समय 07.00 पी.एम. पर उपस्थित कार्यालय आया व पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में मन् एएसपी को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार मय परिवादी के रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय आहोर के नजदीक पहूंच वक्त 05.25 पी.एम. पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार रीडर से संपर्क कर वार्ता कर लाने हेतु कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर की तरफ रवाना किया तथा मन् कानि. परिवादी के वापस आने के इन्तजार में अपनी उपस्थिति छिपाते हुए व्यस्त रहा, परिवादी श्री छगनाराम को मन् कानि. ने कार्यालय में प्रवेश होते हुए देखा। करीब आधा घण्टा पश्चात परिवादी पुनःमन् कानि. के समक्ष उपस्थित आया जिस पर परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया। परिवादी श्री छगनाराम ने बताया कि आपके पास से रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय में श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब के कार्यालय कक्ष में पहूंचा जहां रीडर साहब उपस्थित मिले जिस पर मैने मेरे विचाराधीन अपील के संबंध में विस्तृत वार्तालाप की तो वार्ता के दौरान पूर्व में तय सुदा रिश्वत में दी जाने वाली राशि के निरन्तर में पूर्व में तय की गई रिश्वत राशि ही लेने हेतु सहमत हुआ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर रिवर्स कर उसके मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी परिवादी से कहता है कि वो लेकर आ जाओ आप वाले, अब आपने इसमे अपने हाथ से ही आंकड़ा लिखा था, फिर अब आप कह रहे हो कि मेरे पास तो इतने नहीं है, तब परिवादी कहता है कि पच्चीस हजार भी बहुत ज्यादा हो रहे है, लाने कहां से रुपयों का काम ऐसा हुआ है कि रीडर साहब पहले तो मैं धन्धा करता था लेकिन अब मेरे लड़कों से मांगे तो वे भी बड़ी मुश्किल से छोटे वाले लड़के को कहा तब उसने इतने रुपये मेरे खाते में जमा करवाये है तो अभी आप कहो तो अभी लेकर आऊं वो खेत से आ गये होगें तो मैं अभी लेकर आऊं नहीं तो सुबह पहूंचता कर दूंगा, जिस पर आरोपी कहता है आराम से दे देना कोई बात नहीं, परिवादी कहता है अभी आप कितनी देर हो अब हो गये तो अभी पहूंचता कर दूंगा जिस पर आरोपी कहता है कि अरे आप आराम से, आराम से निश्चित होकर। इस प्रकार आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर व परिवादी श्री छगनाराम के मध्य उपरोक्त वार्ता होकर रिकार्ड होना पाया गया साथ ही आरोपी द्वारा पूर्व में तय सुदा रिश्वत राशि 25,000/- रुपये मांग करने की पुष्टी हुई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी मे सुरक्षित रखा। आईन्दा उपरोक्त वार्ता की गवाहान के रुबरु फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लेकर श्री सुरेन्द्र मीणा कानि. को निर्देशित किया गया की परिवादी श्री छगनाराम से संपर्क कर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/- रुपये की व्यवस्था कर साथ लेकर कल दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 8.00 ए.एम. पर उपस्थित आने हेतु पाबंद करें। दिनांक 06.08.2025 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जिला परिवहन अधिकारी जालोर से जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर दो स्वतंत्र गवाह भिजवाने हेतु निर्देशित किया था इस कार्यालय के पत्रांक 1516 दिनांक 05.08.2025 गवाह तलबी हेतु तहरीर श्री आदूराम कानि. 142 को देकर निर्देशित किया की जिला परिवहन अधिकारी जालोर को तहरीर प्रेषित करें। जिस पर कुछ समय बाद श्री आदूराम कानि. ने मन् एएसपी को बताया कि जिला परिवहन अधिकारी जालोर से जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता की जाकर तहरीर भेजी जिस पर उन्होंने कार्यालय पत्रांक 2115 दिनांक 05.08.2025 के द्वारा श्री चम्पालाल सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र परिहार वरिष्ठ सहायक को बतौर स्वतंत्र गवाह पाबंध कर कल दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर भिजवाने हेतु अवगत कराया है। तत्पश्चात मन् एएसपी ने कार्यालय हाजा के समस्त स्टाफ को भी ट्रेप कार्यवाही हेतु कल दिनांक 06.08.2025 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंध किया गया। दिनांक 06.08.2025 को समय 08.15 ए.एम. पर परिवादी श्री छगनाराम कार्यालय हाजा में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। कुछ समय पश्चात पूर्व में पाबंध सुदा स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री चम्पालाल सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र परिहार वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जालोर कार्यालय हाजा में उपस्थित आये तथा कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ

श्री उपस्थित है। प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए समय 09.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय हाजा में उपस्थित परिवादी श्री छगनाराम तथा स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया। उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् एएसपी ने स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने क्रमश श्री जितेन्द्र परिहार पुत्र श्री मीठाराम परिहार उम्र 27 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी बेलवा राणाजी तहसील बालेसर पुलिस थाना बालेसर, जिला जोधपुर, हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जालोर, जिला जालोर, मोबाईल नंबर [redacted] व श्री चम्पालाल माली पुत्र श्री रामलाल जी उम्र 45 वर्ष, जाति माली निवासी जालोर नागरिक सहकारी बैंक के पास, शास्त्री नगर जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जिला जालोर, हाल सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जालोर, मोबाईल नंबर [redacted] होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को उपस्थित आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर उपस्थित परिवादी श्री छगनाराम से उनका आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 28.07.2025 को ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज तथा दिनांक 29.07.2025 व दिनांक 01.08.2025 तथा दिनांक 05.08.2025 को परिवादी श्री छगनाराम व श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड है को चालु कर रिवर्स कर मुख्यांश गवाहान को सुनाये गये तो दोनो गवाहान ने भी उक्त रिकार्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग करने पुष्टी होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्ड वार्ता की मुख्यांश सुनकर व परिवादी की रिपोर्ट को पढ, सुन समझ अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये तथा परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति जाहिर की। उपरोक्त मौतबीरान के रुबरु परिवादी ने स्वैच्छा से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/- रुपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूँ जिस पर समय 10.15 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री छगनाराम द्वारा आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 50 नोट कुल राशि 25,000/- रुपये अपनी जेब से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है 01. एक पांच सौ रुपये का नोट 9BH 704224 02. एक पांच सौ रुपये का नोट 2MQ 710094 03. एक पांच सौ रुपये का नोट 0AQ 445898 04. एक पांच सौ रुपये का नोट 2FP 519990 05. एक पांच सौ रुपये का नोट 8GS 359224 06. एक पांच सौ रुपये का नोट 9QF 951273 07. एक पांच सौ रुपये का नोट 8AS 850781 08. एक पांच सौ रुपये का नोट 4RR 234326 09. एक पांच सौ रुपये का नोट 5GL 292238 10. एक पांच सौ रुपये का नोट 0UL 437241 11. एक पांच सौ रुपये का नोट 4AB 500284 12. एक पांच सौ रुपये का नोट 4FP 208466 13. एक पांच सौ रुपये का नोट 6VE 294286 14. एक पांच सौ रुपये का नोट 3VG 952503 15. एक पांच सौ रुपये का नोट 8NP 147281 16. एक पांच सौ रुपये का नोट 6BP 753359 17. एक पांच सौ रुपये का नोट 0HW 307229 18. एक पांच सौ रुपये का नोट 5EH 106381 19. एक पांच सौ रुपये का नोट 7CB 208891 20. एक पांच सौ रुपये का नोट 9DQ 786422 21. एक पांच सौ रुपये का नोट 3FD 921408 22. एक पांच सौ रुपये का नोट 2HK 208893 23. एक पांच सौ रुपये का नोट 8DW 292325 24. एक पांच सौ रुपये का नोट 9AK 563973 25. एक पांच सौ रुपये का नोट 7EF 437813 26. एक पांच सौ रुपये का नोट 2CQ 083112 27. एक पांच सौ रुपये का नोट 6EL 117133 28. एक पांच सौ रुपये का नोट 3VS 595399 29. एक पांच सौ रुपये का नोट 6KC 914518 30. एक पांच सौ रुपये का नोट 2KS 495381 31. एक पांच सौ रुपये का नोट 3BW 994895 32. एक पांच सौ रुपये का नोट 2RK 297652 33. एक पांच सौ रुपये का नोट 1RB 713561 34. एक पांच सौ रुपये का नोट 0CL 531111 35. एक पांच सौ रुपये का नोट 0BF 766812 36. एक पांच सौ रुपये का नोट 0SK 412768 37. एक पांच सौ रुपये का नोट 1MB 159596 38. एक पांच सौ रुपये का नोट 6FL 374130 39. एक पांच सौ रुपये का नोट 0SF 813369 40. एक पांच सौ रुपये का नोट 4WV 092505 41. एक पांच सौ रुपये का नोट 3VP 936388 42. एक पांच सौ रुपये का नोट 2RB 711078 43. एक पांच सौ रुपये का नोट 6NA 795060 44. एक पांच सौ रुपये का नोट 3LT 232091 45. एक पांच सौ रुपये का नोट 0CR 255689 46. एक पांच सौ रुपये का नोट 4GS 537582 47. एक पांच सौ रुपये का नोट 2CU 074067 48. एक पांच सौ रुपये का नोट 1QN 246411 49. एक पांच सौ रुपये का नोट 9FD 473015 50. एक पांच सौ रुपये का नोट 1GL 872149 तत्पश्चात कार्यालय हाजा के श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को सुपुर्द करवाई गई। तत्पश्चात उपरोक्त पांच सौ-पांच सौ रुपये के सभी नोटों को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से उपरोक्त प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री छगनाराम की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र परिहार वरिष्ठ सहायक से लिरवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक राशी, वस्तु/दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए गए तथा परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन

पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशी 25,000/- रूपये परिवादी श्री छगनाराम के कमीज के नीचे पहनी हुई बनियानी के आगे की जेब में रखवाए जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी को रास्ते में हाथ नहीं लगाए एवं छुए नहीं तथा आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर द्वारा मांगने पर ही उसे अपनी बनियान की जेब से निकाल कर देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे । अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करें, साथ ही परिवादी श्री छगनाराम को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें । उक्त राशि आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर बंधे हुए साफे को उतार कर या मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल [redacted] पर कॉल या मिस कॉल कर या ट्रेप दल के अन्य सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करें । तत्पश्चात् कार्यालय हाजा से एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाया गया, जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया । इस रंगहीन घोल में श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया । सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा । फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया । तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया। जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोड़कर नष्ट करवाया गया तथा उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था । श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुन मालखाना में रखवाई जाकर मालखाने को बंद कर ताला लगवाया गया । समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के दोनों हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु/दस्तावेज एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई । मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा । गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें । रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को उक्त कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु पिछे छोड़ा गया । उपरोक्त कार्यवाही की कार्यालय हाजा के सरकारी विडियो कैमरे में एक नया मैमोरी कार्ड डलवाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 से विडियोग्राफी करवाई गई । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय प्रचलित मुद्रा के नोट तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये । समय 11.30 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आदूराम कानि. 142, स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री, डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, लेपटॉप प्रिन्टर मय पेपर रीम के जरिये निजी वाहन तथा श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93 मय श्री गुलाबसिंह कानि. 140, श्री करणीदान कानि. 236 मय सरकारी विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के मोहनलाल हैड.कानि. के निजी वाहन से तथा श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक मय परिवादी श्री छगनाराम, श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232, श्री कालूराम कानि. 477 जरिये श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. के निजी वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र.नि.ब्यूरो जालोर से आहोर की तरफ रवाना हुए तथा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह कानि. चालक 501 को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु छोड़ा गया । समय 12.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान व आवश्यक सामग्री के जरिये निजी वाहनों से उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के नजदीक पहूंचा । वाहनों को रुकवाकर परिवादी श्री छगनाराम को वाहन से निचे उतारकर आवश्यक हिदायत दी जाकर परिवादी के साथ श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द हिदायत दी गई की परिवादी श्री छगनाराम को रिश्वती राशि आदान-प्रदान हेतु उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आहोर में रवाना करने से पूर्व गोपनीयता की दृष्टि से डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर से लेन-देन के दौरान वार्ता रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द कर भेजे तथा परिवादी छगनाराम व श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. एवं श्री कालूराम कानि. को एसडीएम कार्यालय आहोर की तरफ रवाना किया गया । मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व शेष हमरायान के उपखण्ड कार्यालय के ईर्द-गिर्द अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुए गोपनीयता की दृष्टि से परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार मे निजी वाहनों में बैठे रहकर व्यस्त रहे । समय 12.40 पी.एम. पर श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. ने जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि परिवादी श्री छगनाराम बिना पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किये मन् कानि. के पास उपस्थित आया जिस पर मन् कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर उससे प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने

कब्जे में लिया। परिवादी ने बताया की निर्देशानुसार रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर में श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के कार्यालय कक्ष में पहूंचा जहां रीडर साहब उपस्थित नहीं मिले जिस पर मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब आज उपस्थित नहीं आये है, यह भी ज्ञात हुआ कि आज श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब संभवतया कार्यालय में उपस्थित नहीं आयेगें। ताबाद मन् एएसपी ने श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. को निर्देशित किया की समस्त ट्रेप पार्टी को सूचित कर मय परिवादी के जोधपुर रोड पर करीब एक किलोमीटर दूर उपस्थित आवे तथा मन् एएसपी मय हमरायान के रवाना होकर जोधपुर रोड पर करीब एक किलोमीटर दूर पहूंच मुकिम हुआ। तत्पश्चात समस्त ट्रेप पार्टी मय परिवादी के निर्धारित स्थान पर उपस्थित आये जिस पर परिवादी श्री छगनाराम से पुछा गया तो उसने बताया कि संभवतया श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब आज कार्यालय में उपस्थित नहीं आयेगें, जिस पर ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 07.08.2025 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी की जेब में रखी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000 रुपये स्वतंत्र गवाह श्री चम्पालाल से निकलवाई जाकर एक लिफाफे में डलवाकर श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक को सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई। परिवादी श्री छगनाराम को हिदायत दी गई कि कल दिनांक 07.08.2025 को करीब 10-11 बजे के आस-पास श्री विरेन्द्र कुमार नाग के अपने कार्यालय में उपस्थिति ज्ञात कर मन् एएसपी या श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. को सूचित करें। तत्पश्चात परिवादी को प्रकरण में गोपनीयता की हिदायत कर आहोर में ही रुकस्त किया जाकर मन् एएसपी मय समस्त हमरायान व स्वतंत्र गवाहान के आहोर से जरिये निजी वाहनों के रवाना होकर भ्रनिब्यूरो जालोर पहूंचा। श्री रविन्द्र कुमार सउनि को आवश्यक हिदायत कर ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय आवश्यक सामग्री व लिफाफे में रखी रिश्वत में दी जाने वाली राशि मालखाना में सुरक्षार्थ रखवाई गई तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 07.08.2025 को तलब करने पर शीघ्र उपस्थित आने व गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर रुकस्त किया गया तथा मन् एएसपी दीगर राजकार्य में व्यस्त हुआ। दिनांक 07.08.2025 को समय 01.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. 232 ने बताया कि परिवादी श्री छगनाराम ने कॉल कर बताया है कि आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर अपने कार्यालय में उपस्थित है आप जल्दी आओ तो वो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। जिस मन् एएसपी ने पूर्व में पाबंध सुदा स्वतंत्र गवाहन को शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित आने हेतु सूचित करवाया। समय 02.15 पी.एम.पर पूर्व पाबंद सुदा स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार कार्यालय हाजा में उपस्थित आये तथा ब्यूरो स्टाफ भी कार्यालय हाजा में उपस्थित है, जिस पर अग्रीम कार्यवाही करते हुए श्री रविन्द्र कुमार सउनि, श्री कालूराम कानि. 477, स्वतंत्र गवाह श्री चम्पालाल, श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. 232 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लिफाफे में बन्द फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/- रुपये, लेपटॉप मय प्रिन्टर, पेपर रीम एवं आवश्यक सामग्री के श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. के निजी वाहने से तथा श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93 मय श्री गुलाबसिंह कानि. 140, श्री करणीदान कानि. 236 मय सरकारी विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के श्री मोहनलाल हैड.कानि. के निजी वाहने से तथा मन् मांगीलाल राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आदूराम कानि. 142, श्री जितेन्द्र परिहार स्वतंत्र गवाह जरिये निजी वाहन के आहोर के लिए रवाना हुआ तथा कार्यालय की निगरानी हेतु श्री भरतसिंह कानि. चालक 501 को कार्यालय की निगरानी हेतु पिछे छोडा गया। परिवादी श्री छगनाराम को जरिये टेलिफोन हिदायत की गई की जोधपुर चौराहा आहोर में अमुख स्थान पर उपस्थित मिले। ताबाद समय 03.00 पी.एम. पर रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के निजी वाहनों मे आहोर पहूंचे। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर से कुछ दूरी पहले वाहनों को रुकवाय गया जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री छगनाराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री छगनाराम को आवश्यक हिदायत दी जाकर श्री रविन्द्र कुमार सउनि से उसके पास सुरक्षार्थ एक लिफाफे में रखी फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25,000/- रुपयों को श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. 232 से रुबरु स्वतंत्र गवाहान के लिफाफे से बाहर निकलवाई जाकर परिवादी श्री छगनाराम को आवश्यक हिदायक कर उसके पहने हुए शर्ट के अन्दर पहनी बनियान की आगे की जेब में रखवाई गई तथा लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया गया एवं श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. 232, श्री रविन्द्र कुमार सउनि, श्री कालूराम कानि. 477 एवं स्वतंत्र गवाह श्री चम्पालाल के दोनो हाथों को ट्रेप बॉक्स में साथ लाए साफ पानी व साबुन से दो दो बार धुलवाये गये। समय 04.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री रविन्द्र कुमार सउनि तथा श्री कालूराम कानि. 477, स्वतंत्र गवाह श्री चम्पालाल को आवश्यक हिदायत दी गई तथा श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. 232 को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री छगनाराम को आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के पास रिश्वत राशि लेन-देन हेतु भेजने से पूर्व परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के ऑन कर सुपुर्द कर भेजें ताकि रिश्वती राशि लेन-देन के दौरान होने वाली वार्ता रिकार्ड हो सके। तत्पश्चात सुरेन्द्र सीगड कानि. मय हमरायान तथा परिवादी के श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. के निजी वाहन से उपखण्ड कार्यालय आहोर के नजदीक पहूंचने हेतु रवाना किया गया तथा मन् एएसपी मय शेष हमरायान निजी वाहनों से रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय के ईर्द-गिर्द पहूंच अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। तत्पश्चात दिनांक 07.08.2025 को समय 04.56 पी.एम.पर परिवादी श्री छगनाराम ने रिश्वती राशि लेन-देन के पश्चात कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के भवन के बरामदा में आकर ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. नं. 232 के मोबाईल नंबर [redacted]

पर परिवादी ने अपने मोबाईल नंबर [redacted] से कॉल कर बताया। जिस पर श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. नं. 232 ने मन् मांगीलाल राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर जरिये वाट्सअप कॉल बताया कि रिश्वत राशि का लेन-देन हो चुका है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शीघ्र ही हरकत में आकर रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के भवन मे खडे परिवादी श्री छगनाराम के पास पहूंच पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी श्री छगनाराम ने बताया कि श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब अपने कार्यालय कक्ष मे मेरे से पूर्व मे तय सुदा रिश्वत राशि 25,000/- रुपये मांग कर अपनी टेबल पर रखवाये तथा मेरी उपखण्ड कार्यालय मे विचाराधीन अपील मे नोटिस जारी करने का कहा। जिस पर परिवादी श्री छगनाराम व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यगण को हमरा लेकर उपखण्ड कार्यालय मे स्थित रीडर कक्ष मे प्रवेश हुए जहां सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति राजकार्य करते हुए मिला। परिवादी श्री छगनाराम ने उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यही श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब है जिन्होने मेरे से अभी-अभी मेरे विचाराधीन अपील मे विपक्षीगण को नोटिस जारी करने एवं अपील खारीज नहीं करवाने की एवज मे पूर्व मे तय सुदा 25,000/- रुपये रिश्वत राशि अपनी टेबल पर रखवाई। जिस पर मन् मांगीलाल राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मय समस्त हमरायान का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री विरेन्द्र कुमार नाग पुत्र श्री कन्हैयालाल उम्र 43 वर्ष, जाति श्रीमाली ब्राह्मण पैशा नौकरी निवासी पुरा मोहल्ला शिव गली जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर जिला जालोर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी व रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर होना बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रेपदल के श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर को परिवादी श्री छगनाराम से अभी थोडी देर पहले प्राप्त की गई रिश्वत राशि 25,000/- रुपयों के बारे मे पुछा तो श्री विरेन्द्र कुमार नाग घबरा गया तथा उसने कोई रिश्वत राशि नहीं लेना बताया जिस पर उसे तसल्ली देकर पुछताछ की गई तो उसने बताया कि मैने श्री छगनाराम से 25,000/- रुपये मेरी टेबल पर रखवाये थे, जब श्री छगनाराम मेरे कक्ष से बाहर गया तब मैने छगनाराम से प्राप्त की गई राशि एक सफेद सादे कागज मे लपेटकर मेरे कक्ष मे स्थित इन्टरनेट बॉक्स मे रख कर हमारे कार्यालय मे कार्यरत श्री जगदीश सिंह होमकार्ड को मेरे मोबाईल नंबर [redacted] से उसके मोबाईल नंबर [redacted] पर कॉल कर बुलाकर इन्टरनेट बॉक्स के अन्दर सफेद सादे कागज मे लपेटकर रखे 25,000/- रुपये उसको उसके पास रखने हेतु ले जाने के लिए कहा जिस पर उसने उक्त राशि लेकर अपने पेन्ट की जेब मे रखी तथा कमरे से बाहर चला गया। जिस पर श्री जगदीश सिंह होमगार्ड को दस्तयाब कर लाने हेतु हमरा जाब्ता मेसे श्री कालूराम कानि. नं. 477 व श्री आदूराम कानि. नं. 142 को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष हमरायान व स्वतंत्र गवाहान के श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर की निगरानी मे मुकिम रहे। कुछ समय पश्चात श्री कालूराम कानि. व श्री आदूराम कानि. दो व्यक्तियों को हमरा लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष रीडर कक्ष मे उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दस्तयाब कर लाये दोनो व्यक्तियों को अपना व हमरायान का परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो क्रमशः श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री गंगाराम उम्र 44 वर्ष जाति गुर्जर निवासी राजेन्द्रनगर जालोर पुलिस थाना कोतवाली जालोर जिला जालोर हाल होमगार्ड नं. 188 कार्यरत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर व श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सोनाराम उम्र 38 वर्ष जाति मारु कुम्हार निवासी ग्राम जोडा तहसील आहोर जिला जालोर हाल उपखण्ड कार्यालय परिसर के बाहर नाश्ता का केबिन आहोर जिला जालोर होना बताया जिस पर समय 06.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमरा श्री करणीदान कानि. नं. 236 को पूर्व मे सुपुर्द सुदा कार्यालय हाजा का मैमोरी कार्ड लगा कैमरा चालू करवाकर विडियोग्राफी करने हेतु आवश्यक निर्देश देकर रुबरु स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार एवं परिवादी श्री छगनाराम तथा हमरायान ट्रेपदल के उपखण्ड कार्यालय आहोर के रीडर कक्ष मे उपस्थित श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर से दस्तयाब सुदा दोनो व्यक्तियों के समक्ष परिवादी श्री छगनाराम से पूर्व मे प्राप्त की गई रिश्वत राशि 25,000/- रुपयों के बारे मे विस्तृत पुछताछ प्रारम्भ की गई तो श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर घबराते हुए हाथा-जोडी कर कहने लगा कि साहब मुझे माफ करदो गलती हो गई मैने कोई राशि के हाथ नहीं लगाया है। श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर ने बताया की अभी कुछ समय पहले छगनाराम मेरे कार्यालय कक्ष मे आया था जिसने मेरी टेबल पर रुपये रखते हुए कहा की ये 25,000/- रुपये है, मेरी अपील मे नोटिस जारी करने का कहकर कक्ष से बाहर चला गया। जिस पर मैने मेरी टेबल पर पडे रुपयों को बिना गिने एक सफेद सादे कागज मे लपेटकर सामने ही स्थित इन्टरनेट बॉक्स मे रख दिए तथा कार्यालय मे कार्यरत श्री जगदीश सिंह होमगार्ड को मेरे मोबाईल से कॉल कर बुलाया तो श्री जगदीश सिंह मेरे कक्ष मे आया जिसे मैने कहा कि इन्टरनेट बॉक्स मे सफेद कागज मे रखी राशि आपके पास रखना, जिस पर श्री जगदीश सिंह होमगार्ड ने सफेद कागज मे लिपेटकर रखे उक्त रुपयों को इन्टरनेट बॉक्स मेसे उठाकर अपनी पेन्ट की जेब मे रखकर बाहर चला गया था। जिस पर उपस्थित श्री जगदीश सिंह होमगार्ड से विस्तृत पुछताछ की तो उसने बताया की आज अभी कुछ समय पहले श्री विरेन्द्र जी रीडर साहब ने मुझे फोन कर बुलाया तो मै उनके कमरे मे आया तो विरेन्द्रजी ने मुझे कहा की सामने इन्टरनेट बॉक्स मे सफेद कागज मे लपेटकर रखे रुपये ले जाओ और अपने पास सुरक्षित रखना मै आपसे बाद मे घर जाते वक्त ले लूंगा, जिस पर मैने रीडर साहब के कहने से उनके कमरे मे इन्टरनेट

बॉक्स मे सफेद कागज मे लपेटकर रखे रुपयों को लेकर मेरी जेब मे रखकर उनके कमरे से बाहर आया तथा रीडर कार्यालय के पास बांयी तरफ चेनल गेट से निकलते ही मुझे शक होने से उक्त राशि को जेब से निकालकर उस पर लिपटे सफेद कागज को मैने हटाकर चेनल गेट के पास बाहर की तरफ फैंक दिया तथा रुपयों को पुनः मेरी जेब मे रखकर उपखण्ड कार्यालय परिसर के बाहर दाहिने तरफ दिवार के पास स्थित खीमज माता नाश्ता सेन्टर पर पहूंच श्री दिनेश कुमार को उक्त राशि दे दी जो उसने अपने पेन्ट की जेब मे रखे तथा मै दिनेश कुमार के पास से रवाना होकर पुनः कार्यालय परिसर मे आकर खड़ा हो गया इतने मे दो व्यक्ति मेरे पास आये जिन्होने एसीबी जालोर का होना बताया तथा कहा की रीडर साहब ने जो रुपये आपको दिए वो कहां है तब मैने उनको बताया कि जो रुपयें मै रीडर साहब के पास से लेकर आया वो मैने कार्यालय परिसर के बाहर खीमज माता नाश्ता सेन्टर पर श्री दिनेश कुमार को दिए है जो उसके पास पडे है मै साथ चलकर बताता हूँ ताबाद मै एसीबी के दोनो व्यक्तियों को श्री दिनेश कुमार के पास उसके नाश्ता सेन्टर पर लेकर गया जहां उन्होने दिनेश कुमार से पुछा कि जगदीश ने आपको रुपये दिए है क्या जिस पर दिनेश कुमार ने कहा कि हाँ जगदीश मुझे कुछ देर पहले रुपये देकर गया जो मैने बिना गिने ही मेरी पेन्ट की जेब मे रखे है जो अभी भी मेरी जेब मे है। जिस पर एसीबी के दोनो व्यक्ति मुझे व श्री दिनेश कुमार को साथ लेकर रीडर साहब के कमरे मे आपके समक्ष लेकर आये है। तत्पश्चात उपस्थित श्री दिनेश कुमार से विस्तृत पुछताछ की तो उसने बताया कि उपखण्ड कार्यालय आहोर परिसर के बाहर दिवार के पास मेरा खीमज माता नाश्ता सेन्टर है, मै आज अपने नाश्ता सेन्टर पर था तो कुछ समय पहले मेरे पास श्री जगदीश सिंह होमगार्ड वाले आये व मुझे रुपये देकर कहा कि ये 25,000/- रुपये आपके पास रखना मै बाद मे आपसे ले लूंगा, मुझे यह पता नहीं की ये रुपये किसके है, श्री जगदीश सिंह एसडीएम कार्यालय आहोर मे लगे हुए है इसलिए मेरे पास नाश्ता करने आते-जाते रहते है इसलिए मै उनको जानता हूं जिससे उन्होने मुझे आज जो रुपये दिए वो मैने बिना कारण पुछे ही मेरे पास रख लिए। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री छगनाराम ने उपरोक्त तीनो आरोपीगण सर्व श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर तथा श्री जगदीश सिंह होमगार्ड एवं श्री दिनेश कुमार के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया की उपखण्ड कार्यालय आहोर मे मेरी पुश्तैनी जमीन को लेकर एक वाद म्यूटेशन अपील संख्या MA/04/2024 दिनांक 24.07.2024 से विचाराधीन है, जिसमे विपक्षीगणो के नाम तारीख पेशी के नोटिस जारी करने तथा उक्त वाद अपील खारीज नहीं करने की एवज मे श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर साहब ने मेरे से पूर्व मे मांगी गई रिश्वत राशि 25,000/- रुपये आज अपने कार्यालय कक्ष मे मेरे से मांग कर उन्होने अपनी टेबल पर रखवाई थी। तत्पश्चात सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार ने अपने पहने हुए पेन्ट की दाहिनी जेब से स्वैच्छा से रुपयों की गड्डी बाहर निकालकर पेश कि जिसको हमरा स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र परिहार को सुपुर्द करवाई जाकर राशि गिनवाई गई तो पाँच सौ पाँच सौ रुपये के कुल 50 नोट कुल राशि 25,000/- रुपये होना पाई गई। जिस पर पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी की एक प्रति जो श्री जितेन्द्र परिहार स्वतंत्र गवाह के पास थी को स्वतंत्र गवाह श्री चम्पालाल को सुपुर्द करवाकर फर्द मे अंकित रिश्वती राशि के नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया तो प्रत्येक नोट के नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित नंबरो से हुबहु मिलान होना पाया गया, जिस पर उक्त रिश्वती राशि 25,000/- रुपयों को सुरक्षा की दृष्टि से गवाह श्री जितेन्द्र परिहार के पास रखवाई गई। प्रक्रियानुसार हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए हमरा ट्रेप बॉक्स मे रखे प्लास्टिक के दो पारदर्शी गिलास को ट्रेप बॉक्स मे निकालकर उपखण्ड कार्यालय परिसर से पीने का साफ पानी एक बोतल व एक स्टील के लोटे मे मंगवाया जाकर दो अलग-अलग प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास मे पानी भरवाया जाकर उक्त गिलासों मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने गिलास के तैयार घोल मे कोई परिवर्तन नहीं होना व रंगहीन होना बताया जिस पर एक रंगहीन गिलास के घोल में आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के दाहिने हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शिशियों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क वीआरएच-1 तथा वीआरएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन गिलास के घोल मे आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का मटमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का मटमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शिशियों मे आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क वीएलएच-1 व वीएलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग ने परिवादी श्री छगनाराम से रिश्वत राशि 25,000/- रुपये अपनी टेबल पर रखी पत्रावलीयां व अन्य दस्तावेजात पर रखवाई थी जिससे उक्त स्थान का धोवन लिया जाना संभव नहीं होने से धोवन नहीं लिया जाने का निर्णय लिया गया तथा आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग ने उक्त रिश्वती राशि 25,000/- रुपये को टेबल पर से एक सफेद सादे कागज मे लपेटकर सामने स्थित इन्टरनेट बॉक्स के अन्दर वायरों (तार) के मध्य रखी थी जिसमे उक्त स्थान का भी धोवन लिया जाना संभव नहीं होने से धोवन नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे रखे प्लास्टिक के दो पारदर्शी गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकालकर पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनों गिलासों मे भरवाया जाकर उक्त दोनो गिलासों मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने गिलास के तैयार घोल मे कोई परिवर्तन नहीं होना

व रंगहीन होना बताया जिस पर एक रंगहीन गिलास के घोल मे सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह होमगार्ड के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शिशियों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क जेआरएच-1 तथा जेआरएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दूसरे गिलास के रंगहीन घोल मे सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह होमगार्ड के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का मटमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का मटमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शिशियों मे आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क जेएलएच-1 व जेएलएच-2 अंकित किया गया। ताबाद सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह होमगार्ड को पुछने पर उसने रिश्वती राशि एक सफेद सादे कागज मे लपेटी हुई को इन्टरनेट बॉक्स मे आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर के कहेनुसार प्राप्त की थी, उक्त सफेद सादे कागज को सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह ने रीडर कार्यालय कक्ष मे बाहर निकलकर चेनल गेट के पास बाहर की तरफ फैकना बताया था जिससे उक्त सफेद सादे कागज को बतौर वजह सबूत रुबरु मौतबीरान के कब्जा एसीबी लिया जाकर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त कागज को सफेद सादा कागज होना बताया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास मे साफ पीने का पानी भरवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त सफेद सादे कागज पर जिस तरफ रिश्वती राशि लपेटी गई थी उसी तरफ तैयार घोल के छींटे डाले गये तो उक्त सफेद सादे कागज पर जहां छींटे पडे वहां गुलाबी रंग के धब्बे पड गये। उक्त सफेद सादे गुलाबी धब्बे पडे कागज को एक पीले रंग के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क K अंकित कर प्रकरण मे वांछित होने से तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे रखे प्लास्टिक के दो पारदर्शी गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकालकर पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासों मे भरवाया जाकर उक्त दो गिलासों मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने गिलास के तैयार घोल मे कोई परिवर्तन नहीं होना व रंगहीन होना बताया जिस पर एक रंगहीन गिलास के घोल में सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार (प्रायवेट व्यक्ति) के दाहिने हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शिशियों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डीआरएच-1 तथा डीआरएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन गिलास के घोल मे सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार (प्रायवेट व्यक्ति) के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का मटमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने हल्का मटमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शिशियों मे आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डीएलएच-1 व डीएलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात पूर्व मे सुरक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र परिहार को सुपुर्द की गई रिश्वती राशि 25,000/- रुपये को पुनः गिनवाये जाकर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो बरामदा रिश्वती राशि 25,000/- रुपये के प्रत्येक नोट के नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित नंबरों से हुबहु मिलान होना पाया गया। बरामदा रिश्वती राशि के प्रत्येक नोट के नंबर फर्द बरामदगी में अंकित करवाये गये। बरामदा रिश्वती राशि 25,000/- रुपयों को एक पिले रंग के लिफाफे मे डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली को सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M अंकित किया जाकर तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात कार्यवाही मे सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह होमगार्ड तथा सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार ने रिश्वती राशि को अपनी-अपनी पेन्ट की जेब मे रखी थी जिसमे उक्त दोनो सह-आरोपीगण के पहनी हुई पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से उपरोक्त सह-आरोपीगण के पहनने हेतु अन्य पृथक-पृथक पेन्ट की व्यवस्था करवाई गई। प्रक्रियानुसार ट्रेप बॉक्स मे से एक प्लास्टिक का साफ गिलास निकालकर पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास मे भरकर उक्त गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग मे कोई परिवर्तन नहीं आया तथा उपस्थितगण ने कोई परिवर्तन नहीं होकर रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह होमगार्ड को पहनने हेतु एक अन्य पेन्ट उपलब्ध करवाई जाकर वक्त वाका पहनी हुई पेन्ट को उतरवाई जाकर उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब को उल्टाकर प्लास्टिक गिलास के रंगहीन घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को कांच की दो साफ शिशियों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क JP-1 व JP-2 अंकित किया गया। सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह के वक्त वाका पहनी हुई पेन्ट की जेब को पंखे की हवा मे सुखाकर जेब पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क JP अंकित किया जाकर तहवीस एसीबी लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे से

एक प्लास्टिक का साफ गिलास निकालकर पीने का साफ पानी उक्त गिलास मे भरकर उक्त गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग मे कोई परिवर्तन नहीं आया तथा उपस्थितगण ने कोई परिवर्तन नहीं होकर रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार को पहनने हेतु एक अन्य पेन्ट उपलब्ध करवाई जाकर वक्त वाका पहनी हुई पेन्ट को उतरवाई जाकर उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब को उल्टाकर प्लास्टिक गिलास के रंगहीन घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को कांच की दो साफ शिशियों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क DP-1 व DP-2 अंकित किया गया। सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार के वक्त वाका पहनी हुई पेन्ट की जेब को पंखे की हवा मे सुखाकर जेब पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क DP अंकित किया जाकर तहवीस एमीबी लिया गया। उपरोक्त समस्त धोवन में प्रयुक्त पारदर्शी प्लास्टिक की गिलासों को जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री छगनाराम की कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के न्यायालय मे विचारधीन वाद म्यूटेशन अपील संख्या MA/04/2024 दिनांक 24.07.2024 की पत्रावली के संबंध मे आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर को पुछा गया तो उसने उक्त पत्रावली उपखण्ड कार्यालय के न्यायालय कार्यालय कक्ष मे होना बताया जिस पर रुबरु गवाहान के हमरा आरोपी उक्त न्यायालय कार्यालय कक्ष मे पहूंचे जहां आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग ने टेबल पर रखी अन्य पत्रावलियों मेसे परिवादी श्री छगनाराम की पत्रावली निकालकर पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली के कवर पेज पर MA/04/2024/2024/224, SDO कोर्ट आहोर छगनाराम बनाम ग्राम पंचायत आहोर म्यूटेशन अपील धारा 75 R ACT तथा अलग-अलग तारीख अंकित की हुई है तथा अन्दर के पेज पर फर्द अहकाम (नियम 26) अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम आहोर जिला जालोर अपीलाण्ट छगनाराम पुत्र प्रहलाद जी जाति मेघवाल निवासी आहोर तहसील आहोर जिला जालोर बनाम रेस्पोडेण्ट्स सरपंच ग्राम पंचायत आहोर तहसील आहोर जिला जालोर किस्म मुकदमा अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व म्यूटेशन अपील संख्या MA/04/2024 तथा दिनांक 24.07.2024 से प्रारम्भ होना अंकित है तथा पृष्ठ संख्या 01 से 58 तक जिसमे पेज संख्या 03 से 05 तक खाली व शेष भरे हुए मूल/फोटो प्रतियां परिवादी श्री छगनाराम की जमीन से संबंधित दस्तावेजात है। उक्त पत्रावली के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ 58 पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पत्रावली की फोटो प्रतियां करवाई गई तथा मूल पत्रावली को परिवादी का कार्य प्रभावित नहीं हो इसलिए उपखण्ड कार्यालय आहोर के चुनाव शाखा मे पदस्थापित श्री हिमताराम विधालय सहायक हाल प्रतिनियुक्त चुनाव शाखा डाट एन्ट्री ऑपरेटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर को तलब कर मूल पत्रावली सुपुर्द कर पत्रावली की छायाप्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रकरण मे वांछित होने मे पत्रावली की छायाप्रतियां शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर ने परिवादी श्री छगनाराम द्वारा पेश प्रतिलिपि आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2025 मय उपखण्ड न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों की तारीख पेशी से संबंधित सूची क्र.सं. 01 से 93 तक जिस के प्रत्येक पेज पर दिनांक 30.07.25 अंकित है, उक्त सूची के क्र.सं. 54 पर परिवादी श्री छगनाराम के विचाराधीन वाद म्यूटेशन अपील मे आगामी तारीख पेशी का कॉलम खाली होना पाया गया। उक्त प्रतिलिपि फार्म मय तारीख पेशी से संबंधीत सूची की फोटो प्रतियां करवाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई, मूल प्रतियां श्री हिमताराम विधालय सहायक को सुपुर्द की गई। तारीख पेशी से संबंधीत सूची मे क्र.सं. 54 पर परिवादी के वाद की आगामी तारीख पेशी का कॉलम खाली रखने बाबत श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर को पुछा गया तो वो निरुत्तर रहा। दिनांक 08.08.2025 को समय 12.05 ए. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर वजह सबूत मालखाना आईट्म्स फर्दात के मुताबिक मार्क क्रमशः बीआरएच-1 तथा बीआरएच-2, बीएलएच-1 व बीएलएच-2, जेआरएच-1 तथा जेआरएच-2, जेएलएच-1 व जेएलएच-2, डीआरएच-1 तथा डीआरएच-2, डीएलएच-1 व डीएलएच-2, मार्क M, JP-1 व JP-2, मार्क JP, DP-1 व DP-2, DP, मार्क K इत्यादि को सुरक्षा की दृष्टि से श्री रविन्द्र कुमार सउनि मालखाना प्रभारी को दुरस्त हालात में संभलाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। दिनांक 08.08.2025 को समय 12.10 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्रकरण की पत्रावली मय फर्दात मय श्री कालूराम कानि. 477, स्वतंत्र गवाह श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार व गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर जरिये निजी वाहन, श्री रविन्द्र कुमार सउनि मय श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232, श्री गुलाबसिंह कानि. 140, गिरफ्तार सुदा सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह होमगार्ड, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री व वजह सबूत मालखाना आईटम्स, डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप प्रिन्टर, जरिये श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. के निजी वाहन से तथा श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93 मय श्री आदूराम कानि. 142, श्री करणीदान कानि. 236 मय विडियो कैमरा, परिवादी श्री छगनाराम, गिरफ्तार सुदा सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार (प्रायवेट व्यक्ति) जरिये श्री मोहनलाल हैड.कानि. के निजी वाहन के एसडीएम कार्यालय आहोर से रवाना होकर भ्र.नि.ब्यूरो जालोर पहुंच आरोपीगण को रात्रि भोजन करवाया जाकर श्री कालूराम कानि.477, श्री भरतसिंह कानि. चालक 501, श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 को सुपुर्द कर निगरानी मामूर कर आवश्यक हिदायत दी गई। ट्रेप बॉक्स मय मालखाना आईटम्स

मुताबिक फर्दात के सुरक्षार्थ मालखाना में रखवाया गया। तत्पश्चात समय 12.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री छगनाराम के दिनांक 29.07.2025 को परिवादी श्री छगनाराम व आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम मे परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुनकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप की कम्प्यूटर के माध्यम से चार सीडीयों में अपलोड करवाई जाकर चारो सीडीयों को क्लोन/कॉपी (डब) मानते हुए खुली रखी गई जिनमे से एक सीडी आई. ओ. व तीन सीडीयां आरोपीगण के लिए मामूर की गई। आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर व स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। ताबाद मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपीगण श्री विरेन्द्र कुमार नाग पुत्र श्री कन्हैयालाल उम्र 43 वर्ष, जाति श्रीमाली ब्राह्मण पैशा नौकरी निवासी पुरा मोहल्ला शिव गली, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर हाल रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला जालोर, सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री गंगाराम उम्र 44 वर्ष जाति गुर्जर निवासी राजेन्द्रनगर जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर हाल होमगार्ड नं. 188 कार्यरत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला जालोर एवं सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सोनाराम उम्र 38 वर्ष जाति मारु कुम्हार ग्राम ओडा तहसील आहोर, जिला जालोर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उपरोक्त तीनो आरोपीगण को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी के हस्व कायदा पृथक-पृथक गिरफ्तार कर फर्दे पृथक से मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.00 ए. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार सुदा आरोपीगण सर्व श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर, श्री जगदीश सिंह होमगार्ड व श्री दिनेश कुमार (प्रायवेट व्यक्ति) का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर कार्यालय हाजा में हवालात की व्यवस्था नहीं होने से बाद स्वास्थ्य परीक्षण के पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में सुरक्षार्थ जमा करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी जालोर एवं थानाधिकारी जालोर के नाम पृथक-पृथक तहरीर जारी कर श्री रविन्द्र कुमार सउनि मय श्री कालूराम कानि. 477, श्री सुरेन्द्र सीगड कानि. 232 जरिये वाहन सरकारी व चालक श्री भरतसिंह नं. 501 को तहरीर मय गिरफ्तार सुदा उपरोक्त आरोपीगण को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर रवाना किया गया जो उपरोक्त तीनो आरोपीगण को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लाये। ताबाद समय 03.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री छगनाराम के दिनांक 01.08.2025 को परिवादी श्री छगनाराम व आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के पश्चात हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन व समझकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग का पुनः सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप को कम्प्यूटर के माध्यम से चार सीडीयों में अपलोड करवाई जाकर चारों सीडीयों को क्लोन/कॉपी (डब) मानते हुए खुली रखी गई जिनमे से एक सीडी आई.ओ. व तीन सीडीयां आरोपीगण के लिए मामूर की गई। समय 04.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री छगनाराम के दिनांक 05.08.2025 को परिवादी श्री छगनाराम व आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के मध्य दिनांक 05.08.2025 को रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन व समझकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग का पुनः सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप को कम्प्यूटर के माध्यम से चार सीडीयों में अपलोड करवाई जाकर चारों सीडीयों को क्लोन/कॉपी (डब) मानते हुए खुली रखी गई जिनमे से एक सीडी आई.ओ. व तीन सीडीयां आरोपीगण के लिए मामूर की गई। समय 05.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री छगनाराम के दिनांक 07.08.2025 को परिवादी श्री छगनाराम व आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 07.08.2025 के दौरान हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम मे परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन व समझकर एवं सुनाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के

हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप को कम्प्यूटर के माध्यम से चार सीडीयों में अपलोड करवाई जाकर चारों सीडीयों को क्लोन/कॉपी (डब) मानते हुए खुली रखी गई जिनमे से एक सीडी आई.ओ. व तीन सीडीयां आरोपीगण के लिए मामूर की गई। उपरोक्त वार्ताओं में आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। दिनांक 08.08.2025 को समय 06.00 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर एवं परिवादी श्री छगनाराम के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 29.07.2025, रिश्वत राशि मांग सत्यापन पश्चात रुबरु वार्तालाप दिनांक 01.08.2025, रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व रुबरु वार्तालाप दिनांक 05.08.2025 व रिश्वत राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप दिनांक 07.08.2025 की वार्ताओं को कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे एक ही मैमोरी कार्ड में पृथक-पृथक रिकार्ड करवाई गई है। उक्त मूल मैमोरी को रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से निकालकर अवलोकन किया तो उक्त मैमोरी कार्ड पर CHIPTRON 8 GB तथा दूसरी तरफ CHIPTRON EXP.JUN/25 लिखा हुआ पाया गया, जिसकी हैश वैल्यू निकालकर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड में अंकित की गई। उक्त कार्ड को एक प्लास्टिक का कवर में रखकर एक पीले रंग के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर तहवील एसीबी लिया गया तथा फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तार सुदा आरोपीगण श्री विरेन्द्र कुमार नाग रीडर, श्री जगदीश सिंह होमगार्ड व श्री दिनेश कुमार को सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली की हवालात में जमा करवाया गया था जिनको प्राप्त कर लाने हेतु श्री कालूराम कानि. 477, श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 जरिये वाहन सरकारी चालक श्री भरतसिंह नं. 501 को पुलिस थाना कोतवाली जालोर रवाना किया जो उपरोक्त आरोपीगण को प्राप्त कर लेकर हाजिर कार्यालय आये जिनकी निगरानी हेतु श्री कालूराम कानि. व श्री करणीदान कानि. को आवश्यक हिदायत कर मामूर किया गया। समय 10.45 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री चम्पालाल व श्री जितेन्द्र परिहार, श्री रविन्द्र कुमार सउनि, श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. 232 जरिये वाहन सरकारी चालक श्री भरतसिंह कानि. 501 मय परिवादी श्री छगनाराम बमय प्रकरण की पत्रावली के घटनास्थल निरीक्षण हेतु आहोर के लिए रवाना होकर आहोर पहुंच परिवादी की निशादेही से रुबरु स्वतंत्र गवाहान नियमानुसार घटनास्थल का निरीक्षक कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। ताबाद रवाना होकर हाजिर कार्यालय आया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में कार्यवाही के दौरान बतौर वजह सबूत फर्दात के मुताबिक सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की नमूना सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दौरान फर्दात के मुताबिक जब्त सुदा मालखाना आईटम्स का मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया जाकर मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सउनि को दुरस्त हालात में सुपुर्द किया गया। संपूर्ण कार्यवाही के दौरान करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड पृथक से जरिये फर्द जब्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपीगण श्री विरेन्द्र कुमार नाग पुत्र श्री कन्हैयालाल उम्र 43 वर्ष, जाति श्रीमाली ब्राह्मण पैशा नौकरी निवासी लाल पोल के बाहर जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर हाल रीडर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला जालोर व सह-आरोपी श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री गंगाराम उम्र 44 वर्ष जाति गुर्जर निवासी राजेन्द्रनगर जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर हाल होमगार्ड नं. 188 कार्यरत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला जालोर एवं सह-आरोपी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सोनाराम उम्र 38 वर्ष जाति मारु कुम्हार ग्राम जोडा तहसील आहोर, जिला जालोर (प्रायवेट व्यक्ति) के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (मांगीलाल राठौड़) अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, जालोर।..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण (1)श्री विरेन्द्र कुमार नाग पुत्र श्री कन्हैयालाल नाग उम्र 43 वर्ष, जाति श्रीमाली ब्राह्मण पैशा नौकरी, निवासी लाल पोल के बाहर जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर जिला जालोर, हाल रीडर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला जालोर (2)श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री गंगाराम उम्र 44 वर्ष जाति गुर्जर निवासी 191 पंचवटी हनुमान मंदिर की गली, वार्ड नंबर 20 जालोर पुलिस थाना कोतवाली जालोर जिला जालोर, हाल होमगार्ड नं. 188 कार्यरत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला जालोर एवं (3) श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सोनाराम उम्र 38 वर्ष जाति मारु कुम्हार निवासी ग्राम जोडा तहसील आहोर, जिला जालोर हाल उपखण्ड कार्यालय परिसर के बाहर नाश्ता का केबिन आहोर जिला जालोर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध

पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेश कुमार श्रीमाली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 146 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1152–56 दिनांक 08.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,पाली, 2.-जिला कलक्टर जालोर 3- जिला समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जालोर 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर,4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** MAHESH SRIMALI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/08/2025 18:40:17

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				
2	Male	1981				
3	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)